क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17,भरतपुरी,उज्जैन,दूरमाष कार्यालय–2510984
Phone 0734-2510984 , E-Mail – romppcb_ujjain@yahoo.co.in

निविदा प्रपत्र

कार्य का विवरण : दैनिक कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु

निविदा प्रपत्र जमा करने की दिनांक	:	06/10/2016, अपरान्ह 01:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र को खोलने की दिनांक	:	06/10/2016, अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रू0 1000/– (एक हजार रूपये मात्र)
धरोहर राशि मूल्य	:	रू0 5000/– (पांच हजार रूपये मात्र)

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17,भरतपुरी,उज्जैन,दूरभाष कार्यालय–2510984
Phone 0734-2510984 , E-Mail – romppcb_ujjain@yahoo.co.in

क्रमांक / 454 / प्रनिबो / क्षे.का. / 2016 उज्जैन,दिनांक 19 / 09 / 2016

निविदा आमंत्रण सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के कार्य संचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन (कलेक्टर उज्जैन द्वारा निर्धारित दर) पर विश्लेषक / फील्ड सहायक (एन.ए.एम.पी. प्रोजेक्ट हेतु) व डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सुरक्षाकर्मी चौकीदार हेतु सेवायें प्रदायकर्ता पंजीकृत फर्म / संस्था से दरें आमंत्रित हैं।

निविदा प्रपत्र बोर्ड कार्यालय से प्रकाशन दिनांक से कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 05 / 10 / 2016 शाम 3:00 बजे तक राशि रू. 1,000 / – शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 / 10 / 2016 को अपरान्ह 1:00 बजे है एवं निविदा उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17,भरतपुरी,उज्जैन,दूरभाष कार्यालय-2510984
Phone 0734-2510984 , E-Mail – romppcb_ujjain@yahoo.co.in

निविदा

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा दैनिक कार्यालयीन कार्यों के लिए आऊट सोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन (कलेक्टर दर पर) उपलब्ध कराए जाने हेतु सीलबंद निविदाएं दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) में अनुभवी एवं पंजीकृत फर्म/संस्थाओं से आमंत्रित की जाती हैं।

: निविदाकार हेतु आवश्यक शर्तें :

1. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आऊट सोर्सिंग के माध्यम से ठेका श्रमिकों (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल एवं अकुशल) को उपलब्ध कराने वाली फर्म/एजेन्सी का म.प्र. शासन के नियमानुसार संबंधित विभाग में सेवा प्रदाय हेतु पंजीयन अनिवार्य होगा।

2. संबंधित फर्म/एजेन्सी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, के अधीन नियमानुसार पंजीयन अनिवार्य होगा।

3. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए जाने वाले ठेका श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा, जिसके लिए राशि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराए गए ठेका कर्मियों को प्रत्येक माह कलेक्टर दर पर दैनिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। समय-समय पर श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

5. संबंधित फर्म/एजेन्सी को शासन द्वारा निर्धारित सेवा कर (सर्विस टैक्स) का भुगतान करना होगा।

6. संबंधित फर्म/एजेन्सी का पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर रू. 3 करोड़ प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति भी प्रस्तुत करें।

7. फर्म/एजेन्सी के पास कार्य कराने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव प्रतिष्ठित संस्थाओं का होना चाहिए, प्रति संलग्न करें।

8. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सेवा शुल्क (सर्विस चार्जेस) का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

9. संबंधित फर्म द्वारा सभी आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों को वेतन का भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

10. संबंधित फर्म द्वारा भुगतान किये गये ईपीएफ, ईएसआई, सर्विस टेक्स, इन्कम टेक्स इत्यादि देय सभी करों की जमा करने वाली रसीद की एक प्रति राशि जमा करने के 30 दिवस (एक माह) के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जाना आवश्यक होगा।

11. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए गए ठेका श्रमिकों के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र, चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र आदि की सत्यता प्रमाणित की जाएगी।

12. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संबंधित फर्म/एजेन्सी की दरें एक वर्ष हेतु मान्य होंगी। इसके लिए अनुमोदित न्यूनतम दर पर संबंधित फर्म/एजेन्सी से विभाग द्वारा एक अनुबंध हस्ताक्षारित किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों की सहमति से अवधि की वृद्धि की जा सकेगी।

13. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराए जाने वाले ठेका श्रमिकों को विभाग में अन्य किसी भी सुविधा, भत्ते की पात्रता नहीं होगी और न ही उसे विभाग में नियमित अथवा स्थाई नियुक्ति का अधिकार होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17,भरतपुरी,उज्जैन,दूरभाष कार्यालय–2510984
Phone 0734-2510984 , E-Mail – romppcb_ujjain@yahoo.co.in

14. निविदाकार फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय धरोहर राशि के रूप में रू. 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के नाम से जमा कराई जाना होगी, जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित फर्म/संस्था को वापसी योग्य होगी।

15. फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मी अच्छे चाल–चलन के होंगे, वे आपराधिक चरित्र के न हों ।

16. फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए गए ठेका श्रमिकों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व प्रदाता फर्म/संस्था का होगा। कभी किसी प्रकार की यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदाता फर्म/संस्था की होगी।

17. फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर ठेका श्रमिक प्रदाय करने के लिए इस कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर प्रदाता फर्म/संस्था को रूपये 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा " क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन " के नाम से रूपये 50,000=00 (रू. पचास हजार) की धरोहर राशि एफडीआर के रूप में उपलब्ध करानी होगी। निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर ठेका श्रमिक उपलब्ध कराना होंगे। यदि नियमानुसार अनुबंध करने एवं दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि बोर्ड के पक्ष में राजसात की जाएगी। दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर ठेका श्रमिक प्रदाता फर्म/संस्था अथवा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर उक्त अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। ठेका श्रमिकों की कार्य हेतु उपयुक्तता, सेवा की गुणवत्ता आदि को देखते हुए अनुबंध की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी। ठेका श्रमिकों का प्रोवीडेंट फंड अकाउण्ट नंबर प्रस्तुत करना होगा तथा अंडर टेकिंग प्रस्तुत करना होगी कि फर्म/संस्था द्वारा ठेका श्रमिक की ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि नियमित रूप से उनके खाते में जमा कराई जाती रहेगी अन्यथा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा सकेगा।

18. निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र एवं प्रदाता फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे।

19. अनुबंध अवधि में कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। यदि उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त ऑफर में अन्य शर्तें दी जाती हैं, तो निविदा मान्य नहीं होगी।

20. देयक से नियमानुसार समय–समय पर प्रचलित आयकर (टीडीएस) की कटौती की जायेगी। इस हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर ठेका श्रमिक प्रदाता फर्म/संस्था को अपना पेन क्रमांक देना होगा, जिसका उल्लेख निविदा देयकों पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित फर्म/संस्था को टीडीएस प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन को होगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।

23. समिति द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा तथा चाहे गए सभी आवश्यक अभिलेखों का विश्लेषण उपरान्त तुलनात्मक पत्र तैयार किया जायेगा।

24. ठेका श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हों। सभी ठेका श्रमिकों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट होना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17,भरतपुरी,उज्जैन,दूरभाष कार्यालय–2510984
Phone 0734-2510984 , E-Mail – romppcb_ujjain@yahoo.co.in

25. ठेकेदार को निम्नलिखित अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इनसे संबंधित समस्त भुगतानों की जवाबदेही भी ठेकेदार की होगी :–

(i) न्यूनतम वेतन अधिनियम।
(ii) श्रम अधिनियम।
(iii) वेतन एवं बोनस एक्ट।
(iv) ईएसआई एक्ट।
(v) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट।
(vi) वर्क्स मेन कम्पन्सेशन एक्ट।
(vii) ईएसआई।
(viii) ईपीएफ अधिनियम।
(ix) सेवा कर अधिनियम।

इसके अतिरिक्त भी किसी अधिनियम का यदि श्रम कानून अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत पालन करना अनिवार्य हो तो इसका पालन भी ठेकेदार की जवाबदारी होगी।

26. अनुबंधकर्ता अधिकारी द्वारा किया गया अनुबंध किसी भी समय एक माह के लिखित नोटिस द्वारा भंग किया जा सकेगा। अनुबंध भंग होने की स्थिति में ठेकेदार को कारण जानने का अथवा किसी भी प्रकार की संभावित हानि की पूर्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

27. समस्त कर्मचारी अनुबंध शर्तों के अधीन कार्य करेंगे, किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी आदि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।

28. कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका का सत्यापन किया जाएगा, निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कटौती की जावेगी। कर्मी के असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर तत्काल कार्य से हटाना अनिवार्य होगा, इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति 3 बार होने पर संस्थान का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

29. न्यूनतम दर वाली निविदा मान्य की जावेगी।

30. सफल निविदाकार अनुबंध पश्चात् निर्धारित दिनांक से कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो उसका ठेका समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

31. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ के जो अंशदान जमा किये जावेंगे, उनकी प्रमाणित प्रति, कर्मचारियों के खाता क्रमांक सहित अगले माह के भुगतान देयकों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

32. ऐसी किसी भी आऊटसोर्स एजेंसी/फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी जिनके द्वारा पूर्व में बोर्ड के किसी भी कार्यालय में श्रम कानूनों एवं निविदा अनुबधों की शर्तों का उल्लंघन कर ब्लेक लिस्टेड किया गया हो ।

33. ठेका श्रमिकों से तात्पर्य आऊटसोर्स एजेंसी द्वारा इस कार्यालय में प्रदाय किये जाने वाले एनालिस्ट/फील्ड सहायक (एन.ए.एम.पी. प्रोजेक्ट हेतु), डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, एवं सुरक्षाकर्मी चौकीदार है। इस निविदा प्रपत्र में जिन्हें ठेका श्रमिक/कर्मियों सें संबोधित किया गया है।

34. दिये गये प्रपत्र को पूर्ण कर निविदाकर्ता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17,भरतपुरी,उज्जैन,दूरभाष कार्यालय–2510984

Phone 0734-2510984 , E-Mail – romppcb_ujjain@yahoo.co.in

निविदा प्रपत्र–1 तकनीकी प्रस्ताव

1. निविदाकार का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. कार्य का पूर्व अनुभव : ....
4. निविदाकार का पूर्ण पता : ....

   ....

   दूरभाष नम्बर कार्या0..............................निवास..............................

   मोबाईल नं0..............................फैक्स नं0..............................

5. आयकर पेनकार्ड क्रमांक : ....
6. सेवाकर पंजीयन क्रमांक तथा सेवाकर कोड क्र. :..
7. फर्म का रजिस्ट्रेशन : ....
8. ईपीएफ रजिस्ट्रेशन क्रमांक : ....
9. ईएसआई रजिस्ट्रेशन क्रमांक : ....
10. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..................दिनांक..................रूपये...............एवं बैंक का नाम....................
11. विगत तीन वर्षों वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में टर्न ओवर की जानकारी तथा उसके परिप्रेक्ष्य में विगत तीन वर्ष जमा किये गये आयकर विवरणी की छायाप्रतियाँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पूरा पता